नियम 137 : [1][.....]

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

[2]**[(क)** ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;**]**

(ख) ''समिति'' से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;

(ग) ''हितब) पक्षकार'' जिसके अंतर्गत–

(क) कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता; और

(ख) कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता;

[3]**[(ग)** नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है।**]**

(घ) ''छानबीन समिति'' से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत ळें

---

1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 137 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था

"नियम 137 : प्राधिकरण की अवधि

परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से [A][पांच वर्ष] के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे।

A अधिसूचना क्रमांक 37/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.12.2021 द्वारा ''[B]**[**चार वर्ष**]**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.11.2021)

B इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 33/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा ''दो वर्ष'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)

2 अधिसूचना क्रमांक 24/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था

"(क) ''प्राधिकरण'' से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;"

3 अधिसूचना क्रमांक 14/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।